मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,भोपाल

आदेश

क्रमांक: एफ–1–59–2009–20–1 भोपाल दिनाक 21 मई 2010

प्रति,

आयुक्त,लोकशिक्षण ,मध्यप्रदेश
आयुक्त,राज्य शिक्षा केन्द्र,,भोपाल
समस्त कलेक्टर्स,मध्यप्रदेश
समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,मध्यप्रदेश

विषय:–ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में शिक्षकों की कमी–रिक्त पदों पर सेवा निवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति ।

—

विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30 नवम्बर 2009 व्दारा कक्षा–9 वीं से 12 वीं के स्कूलों में विषयवार शिक्षकों के रिक्त पदों पर सेवा निवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 06.02.2010 व्दारा कक्षा– 1 से 8 वीं के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सेवा निवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति पे (–) पेंशन के आधार पर शिक्षा सत्र 2009–2010 के अन्त तक की अवधि के लिए किए जाने के आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किए गए हैं

2. उल्लेखित दिनांकों के आदेशों के सन्दर्भ में राज्य शासन व्दारा कक्षा 9 वीं से 12 वीं के स्कूलों तथा कक्षा 1 से 8 वीं के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सेवा निवृत्त शिक्षकों की पे (–) पेंशन के आधार पर आगामी आदेश तक अगले शिक्षा सत्रों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्तियां करने का निर्णय लिया गया है:–

(1) ऐसे सेवा निवृत्त शिक्षक इस योजना में पात्र होंगे,जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य है।

(2) सेवा निवृत्त शिक्षक की आयु अधिकतम 70 वर्ष तक हो सकती है।

(3) सेवा निवृत्त शिक्षक सेवा निवृत्ति उपरान्त अध्यापन कार्य में रूचि रखते हो एवं लिखित में सहमति प्रदान करें ।

(4) सेवानिवृत्त शिक्षक के स्वास्थ्य के कारण यदि वे अध्यापन कार्य में असमर्थ होते हैं तो वे 1 माह की पूर्व सूचना देकर ऐसी नियुक्ति समाप्त करवा सकते हैं अन्यथा 1 माह के देय भुगतान को जमा कराकर तुरन्त रिलीव हो सकते हैं।

(5) ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों को ऐसी नियुक्ति के पश्चात् न तो कहीं संलग्न किया जा सकेगा और न ही कहीं स्थानांतरित किया जावेगा।